

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर  
न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट केम्प चित्तोडा

मु0नं0 64 / 2017

निर्णय दिनांक 23.05.2017


उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार बनाम श्रीकिशन वगै0

(प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट)

पत्रावली न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 केम्प कोर्ट चित्तोडा पर पेश हुई। तहसीलदार फागी द्वारा ग्राम चित्तोडा के खसरा नम्बर 2512/944 रकबा 0.10 बीघा भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा विभाजन पत्र में आपसी सहमति से शामिल रास्ता रखा है। जो तदानुसार जमाबंदी में दर्ज है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस की प्रति के अवलोकन एवं अध्ययन करने के बाद प्रार्थना पत्र 131 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2512/944 रकबा 0.10 बीघा भूमि वाके ग्राम चित्तोडा तहसील फागी को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि शामिल खालेदारी में पूर्ववत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी को रिकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

  
(सावन कुमार चायल)  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी जयपुर